

प्रति,

दया निवाण, वाण्डय,  
अथवा सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार,  
महालेखाकार कार्यालय,  
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक:-18/05/2015

विषय:- समूह 'घ' के कर्मियों के वेतनमान के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0 2937, दिनांक 31/03/2011 के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

- (i) दसवीं उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मियों को वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड-पे-1800/- अनुमान्य होगा तथा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा;
- (ii) दसवीं अनुत्तीर्ण (नन मैट्रिक) समूह 'घ' के कर्मियों को पे-बैंड-1एस एवं ग्रेड-पे 1650/- अनुमान्य होगा । इन्हें पे-बैंड-1 एवं ग्रेड-पे-1800/- एवं वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रशिक्षणोपरांत दी जायेगी;

2. वित्त विभागीय पत्रांक 639, दिनांक 20/01/2015 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दसवीं अनुत्तीर्ण (नन मैट्रिक) समूह 'घ' के कर्मियों को प्रशिक्षणोपरांत दिनांक 01/01/2006 अथवा नियुक्ति की तिथि जो बाद में हो, से पी0बी0-1+1800/- का वेतन अनुमान्य होगा ।

3. वित्त विभागीय पत्रांक 275, दिनांक 08/01/2015 द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दिनांक 31/12/2005 को अनुमान्य वेतनमान के आधार पर ही दिनांक 01/01/2006 से वेतन पुनरीक्षण किया जायेगा, जिसका वास्तविक लाभ दिनांक 01/04/2007 से मिलेगा । ऐसी स्थिति में दिनांक 01/01/2006 के पूर्व प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतनमान रु0 2610-4000/-, 2650-4000/- एवं 2750-4400/- में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से क्रमशः ग्रेड-पे 1900/-, 2000/- एवं 2400/- में होगा । अतएव वित्त विभागीय संकल्प सं0 7099, दिनांक 01/08/2011 की कड़ीका 5 में वर्णित प्रावधान कि दिनांक 01/01/2006 के पूर्व तथा दिनांक 01/01/2006 से 31/12/2008 के बीच प्राप्त वित्तीय उन्नयन का लाभ दिनांक

22

01/01/2009 के अनुसूचित सेवा को लिए विद्यमान पत्रांक 273, दिनांक 08/01/2015 के आलेख के निषेधको मान्य नहीं।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे0पु0-02/2011-4525

पटना, दिनांक:-18/05/2015

प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी कौषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे0पु0-02/2011-4525

पटना, दिनांक:-18/05/2015

प्रतिलिपि:-सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को वित्त विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:-3/स्था0-18 (विविध पत्रा0)-मु0-05/15 750

पटना, दिनांक- 5-6-15

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश देने की कृपा की जाए।

5.06.15

(आशीष कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 750

पटना, दिनांक- 5-6-15

प्रतिलिपि:-कंप्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5.06.15

(आशीष कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।